



## राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस कैंपस के पास, झालाना लिंक रोड,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141 2719136)

क्रमांक पं. 6 ( )/रा.सू.आ./संस्था/2023/1316-89 दिनांक 12-4-2023

### कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), जयपुर ने स्वीकृति आदेश संख्या प.10(1) प्रसू/सूअप्र/2023 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 की उप धारा (7) के अधीन बजट घोषणा 2023-24 की पालना में राजस्थान राज्य सूचना आयोग की जोधपुर बेंच स्थापित करने हेतु राज्य सरकार की सहमति प्रदान की है।

अतः राज्य सरकार की उपरोक्त सहमति के आधार पर तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 की उप धारा (4) व (7) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग की जोधपुर बेंच के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

(प्रियंका गोस्वामी)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग,  
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप सचिव, सूचना आयोग।
5. रजिस्ट्रार कम विशेषाधिकारी, सूचना आयोग।
6. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम।
7. सांख्यिकी अधिकारी, सूचना आयोग।
8. पोगामर को भेज कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को सूचना आयोग की वेबसाईट अत्रिाच अपलोड करावें।
9. केयरटेकर कम स्टोरकीपर, सूचना आयोग।
10. नोटिस बोर्ड।
11. रक्षित पत्रावली।

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग,  
जयपुर